राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdmc2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 7(185)ग्रावि/अनु–8/2014/ दिनांक: 07|10|2015

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर 2015 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. ग्रामीण विकास की योजनाऐं

1 महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ विभाग की अन्य योजनाओं में कन्वर्जेन्स के संबंध में ग्राम सेवक व सरपंचों के प्रतिनिधि मण्डल राज्य स्तर पर मुलाकात की थी जिसमें उनको आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये है जिसमें एक लाख रूपये तक के कार्यो की बिना टेक्नीकल सैंशन की स्वीकृति के अधिकार दिये गये तथा जिला स्तर पर तुरंत दर निर्धारण में उनके प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है।

2 जिला स्तर पर नियम अनुरूप सरपंचों के साथ डायलोग (वार्ता) हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनको आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का समाधान किया जा सके। विशेष तौर पर जयपुर जिले में इसका भारी अभाव देखा गया है। अतः सभी जिले ऐसा करेंगे।

3 सभी जिले कन्वर्जेन्स के संबंध में सरपंचों को सही जानकारी देने हेतु कार्यशाला/बैठक आयोजित कर सकते है।

4 जिन जिलों/खण्ड/ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा है या कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है वहां पर प्रावधानों के अनुरूप कमेठी बनाकर कार्य का कियान्वयन किया जाए तथा उनका पूरा प्रचार–प्रसार किया जाए और संबंधित सरपंच एवं ग्राम सेवक को दण्डित किया जाये।

5 महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्किल (Skilled) व अनस्किल्ड (Unskilled)का प्रावधान है। जिलों में हमेशा मांग होती रही है लेकिन कुछ कार्य ऐसे है जो सेमी

स्किल्ड के होते है। अतः आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा लैबर विभाग के साथ आवश्यक विचार विमर्श कर सेमी स्किल लैबर को परिभाषित किया जाये व इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर जिलों में लागू करायें।

6 कन्वर्जेन्स के बारे में पूरा प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण हेतु आने वाले खर्चे को प्रशासनिक मद से लिया जाए।

7 आईएवाई योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स करने पर लैबर के साथ साथ 40 प्रतिशत मैटेरियल राशि के प्रावधान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाए।

8 आईएवाई योजना में स्वप्रेरक लगाने के निर्देश राज्य स्तर से दिये गये जिन जिलों द्वारा 50 आवासों पर एक प्रेरक नहीं लगाया गया है उन जिलों को नोटिस जारी किये जाए।

9 ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में सबसे कम स्वीकृति जारी करने वाले जिलों में प्रतापगढ व उदयपुर में दिनांक 30.09.2015 को टीम भेजकर आवश्यक जांच करायी जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करायी जाए। इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा में बाडमेर जिला सबसे पिछडा है अतः वहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिकारियों की विशेष टीम भेजकर जांच करायी जाए।

10 डांग, मगरा, मेवात में राज्य स्तर पर रोकी गयी राशि की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का तुरंत निस्तारण किया जाए।

11 सभी योजनाओं में 150 प्रतिशत तक स्वीकृति जारी करायी जाए।

12 आगामी विडियों कॉन्फ्रेंस से 2 दिवस पहले सभी योजना का महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित समीक्षा नोट तैयार कर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज को प्रस्तुत किया जाए।

13 महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत कार्य जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं में अनुगत है उनको महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स किया जाए।

14 प्रधानगण/सरपंचगण/ग्राम सेवकों का महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स हेतु प्रशिक्षण जयपुर में आयोजित किया जाए जिसमें आवास योजना में 90 मानव दिवस के साथ साथ मजदूरी का 40 प्रतिशत सामग्री मद से दिये जाने के प्रावधान से अवगत कराया जाए।

15 जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जिला परिषद स्तर पर नये कार्यो को अनुमोदित करने हेतु पूरक प्लान बनाने के निर्देश दिये गये।

16 सभी परियोजना अधिकारी (योजना प्रभारी) को अगले सप्ताह क्षेत्र भ्रमण कर स्वीकृतियॉ जारी करवाने एवं कार्यो को चालू करवाने के निर्देश दिये गये।

17 जिला करौली, बांरा एवं सीकर में कन्वर्जेन्स की समस्या का समाधान करायें।

18 डूँगरपुर मॉडल को अपनाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से विडियों कॉन्फ्रेस करने के निर्देश दिये गये।

19 आवास योजनान्तर्गत प्रतापगढ जिले में अवशेष राशि 17.00 करोड़ को अन्य जिलों को ट्रांसफर किया जाए।

20 डूँगरपुर जिले द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में लैबर बजट का बहुत कम उपयोग हुआ है। लैबर बजट का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

2. पंचायतीराज विभाग

1. जल ग्रहण विभाग से प्रभारी अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि भारत सरकार से योजनाओं के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लगातार स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे है। अतः अवशेष राशि का शत–प्रतिशत उपयोग करते हुए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाये ताकि राशि का समायोजन किया जा सके।
2. हनुमानगढ जिले में सांडशाला का गलत निर्माण किये जाने का पेरा बना हुआ है अतः वसूली की कार्यवाही की जावे तथा गलत निर्माण में उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करावे।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा पंचायत दिवस कार्यक्रम ग्राम पंचायतो में करीब–करीब नही होने को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि पंचायत दिवस कार्यक्रम एक सतत प्रकिया है। अतः जब तक आपको पंचायत दिवस कार्यक्रम को बन्द करने की सूचना नहीं मिले तब तक इसे निर्धारित कार्यक्रम बनाकर आयोजित करावे।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय ने मिड डे मिल के अन्तर्गत बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर से अगस्त की सूचना प्राप्त नहीं होने पर सूचना समय पर भिजवाने तथा अजमेर, चुरू, बांरा में खाद्यान्न का उठाव कम होने पर शत–प्रतिशत उठाव करने हेतु निर्देशित किया।
5. मिड डे मिल योजना के तहत रसोईघर के निर्माण कार्य में बीकानेर, सिरोही, झालावाड़, कोटा की कम प्रगति को बढ़ाने एवं गैस कनेक्शन में अलवर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, करौली में सभी विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये।
6. पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं में कुल उपलब्ध राशि 1931.83 करोड़ के विरूद्ध अगस्त–2015 तक 1021.00 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है जो कि 52.85 प्रतिशत है। राज्य में सबसे कम प्रगति वाले 8 जिले यथा जयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ, हनुमानगढ, करौली, बीकानेर, नागौर एवं सीकर के सभी सीईओ/एसीईओ को निर्देशित किया कि माह अक्टूबर 2015 में शत–प्रतिशत प्रगति अर्जित करें।
7. उपरोक्त 8 जिलो में सभी योजनाओं यथा तेरहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ), निर्बन्ध राशि योजना, क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन, विलेज मास्टर प्लान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, जिला नवाचार निधि तथा किसान सेवा केन्द्र एवं विलेज नालेज सेंटर में भी प्रगति कम ही थी। प्रगति कम होने पर शासन सचिव एवं

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया कि 15 दिवस पश्चात् इन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की जायेगी।

8. स्वच्छ भारत मिशन में उदयपुर संभाग के सभी जिले यथा प्रतापगढ़, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर की कम प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया। यह भी निर्देश दिये गये कि अब जिले में ऐसी ग्राम पंचायते चिहिन्त करे जिसमें कम से कम शौचालय बनाने है उनमे शत प्रतिशत शौचालय बनाया जा कर उन्हे (ODF) किया जा सके। शौचालय निर्माण की फोटो जहां अपलोड नहीं की जा रहीं है वो सभी जिले फोटो अपलोड करावे। जो ग्राम पंचायते ओडीएफ हो गई है उनका सत्यापन कर सूचना भिजवाये।
9. 2 अक्टूबर 2015 को गांधी जयन्ती पर आयोजित ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में स्वच्छ भारत मिशन का ऐजेण्डा रखकर आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना बनावे।
10. न्यायालय प्रकरणों के संबंध में शासन सचिव महोदय ने सभी सीईओ/एसीईओ का निर्देशित किया कि अवमानना प्रकरणों का जवाब देकर फाइल करावे। रिटों में लम्बित प्रकरणों का जवाब दिया जावे।
11. विधान सभा की प्रश्न सं. 1660, 1664, 6864 उदयपुर, प्रश्न सं. 485, 4787 जयपुर, प्रश्न सं. 3377 राजसमन्द, प्रश्न सं. 6785 पाली, प्रश्न सं.1499 अजमेर, प्रश्न सं. 1541, 3/2015 गंगानगर, आश्वासन प्रश्न सं.3/212 जोधपुर, आश्वासन प्रश्न सं. 16/2014 जयपुर, प्रश्न सं. 1379 कोटा एवं प्रश्न सं. 1521 सीकर आदि जिलों से जवाब प्राप्त होना शेष है। अतः शासन सचिव महोदय ने निर्देशित किया कि विधान सभा प्रश्नों का जवाब 15 दिवस में भिजवायें।
12. शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया कि जिन जिलों में नाबार्ड के तहत आंगन बाड़ी भवन निर्माण की राशि शेष है उसे महिला एवं बाल विकास विभाग को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्र भिजवावे। तथा राजसमन्द, कोटा, पाली एवं जोधपुर जिलों की कम प्रगति को बढाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
13. सांख्यिकी कार्यालय के भवन निर्माण के अन्तर्गत जिन जिलो में भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है उन जिलो द्वारा उक्त राशि वापस निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये।
14. लोकायुक्त के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करे तथा जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों का संभागीय आयुक्तों के माध्यम से निस्तारण करवाये।
15. प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका की गाइड लाईन आपको प्रेषित की जा चुकी है। इसके संबंध में आपके कोई सुझाव हो तो भिजवावे। अधीक्षण अभियंता श्री माहेश्वरी को दिनांक 14–15 अक्टूबर 2015 को निर्देशिका के संबंध में सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने के आदेश जारी करने

हेतु कहा। जिसमें संबंधित जिले में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल, इलैक्ट्रिक, वाटरशेड एवं मेकेनिकल) एवं समस्त विकास अधिकारी भाग लेंगे।

16. दिनांक 05.10.2015 को एक कार्यशाला आयोजित की जावे जिसमें 33 जिलों के सभी प्रभारी अधिकारीयो को ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015, बीएसआर एवं जल संरक्षण मिशन के बारे में बतलाया जाये। जिससे ये संबंधित जिले में दिनांक 14–15 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होकर प्रशिक्षण आयोजित करवा सके।

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने निर्देशित किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को समस्त योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए कि कितनी राशि की स्वीकृति जारी हुई है तथा कितना व्यय हुआ है। प्रत्येक माह समस्त योजनाओं की विकास अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की जावे साथ ही मासिक प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने हेतु कहा गया।

3. महात्मा गांधी नरेगा

1. **मानव दिवस सृजन**-- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार माह अगस्त तक का लक्ष्य 1220.08 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य अनुमोदित है। जिसके विरूद्ध अभी तक 1088.41 लाख का मानव दिवस (87%) सृजित हुए है,
   अधिक मानव दिवस सृजन वाले जिले – बून्दी (188%), श्रीगंगानगर (179.0%), अलवर (164%), भरतपुर (103%) एवं कोटा (146%), ।
   कम मानव दिवस सृजन वाले जिले– बाडमेर (52%), प्रतापगढ (60%), डूंगरपुर (63%), बांरा (65%), एवं बांसवाडा(66%)।
2. **समय पर मजदूरी भुगतान**-- मस्टररोल बन्द होने की दिनांक से 15 दिन में श्रमिकों को भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु श्रमिकों को की गई कुल भुगतान राशि रू. 114369.89 लाख में से रू. 53553.37 लाख का भुगतान विलम्ब से हुआ है, केवल रू. 60816.52 लाख (53.1 प्रतिशत) का भुगतान समय पर किया है।
   समय पर कम राशि का भुगतान करने वाले जिले – बांसवाडा (18.2%), करौली (32.3%), स.माधेपुर (32.8%), प्रतापगढ (33.9%),एवं उदयपुर (39.5%)।
   समय पर भुगतान करने वाले जिले– भरतपुर (94%), सीकर (88.9%), झुन्झुनू (82.3%), हनुमानगढ (82.1%), एवं बांरा (70.4%)।
3. **व्यक्तिगत लाभ के कार्य**-योजनान्तर्गत अब तक किये गये कुल कार्यों 324586 में से कैटेगिरी–4 के कार्य 124843 (38%) है। जबकि व्यक्तिगत लाभ के कार्य अधिक से अधिक लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।
   कम प्रगति वाले जिले – श्रीगंगानगर (6%), भरतपुर (9%), अलवर (13%), धोलपुर (14%), एवं बीकानेर (14%)।

अधिक प्रगति वाले जिले – बाडमेर (75%), उदयपुर (56%), भीलवाडा (56%), बांसवाडा (53%), एवं सवाईमाधोपुर (53%)

4. **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से संबंधित लोक निर्माण के कार्य**–योजनान्तर्गत अब तक किये गये कुल कार्यों 324586 में से **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से संबंधित लोक** निर्माण के कार्य 82138 (25%) है।

कम प्रगति वाले जिले – बाडमेर (8%), जयपुर (13%), उदयपुर (15%), भीलवाडा (19%) एवं स.माधोपुर (20%)।

अधिक प्रगति वाले जिले – बाडमेर (75%), सिरोही (46%), चूरु (40%), झुझुंनूं (35%),एवं गंगानगर (35%)

5. **कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो पर व्यय**– भारत सरकार के निर्देशानुसार 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो पर व्यय किया जाना है। योजनान्तर्गत कार्यो पर अब तक किये गये कुल व्यय रू0 139584.89 लाख के विरूद्ध कृषि आधारित कार्यो पर रू0 85633.22 लाख (61.35%) का व्यय हुआ है।

अधिक व्यय वाले जिले – चूरू (84%), बांसवाडा (82%), सिरोही (82%), हनुमानगढ (80%) एवं झालावाड (78%) ।

कम **व्यय वाले जिले**– उदयपुर (31%), राजसमद (39%), बून्दी (41%), प्रतापगढ (43%) एवं भरतपुर (44%)।

6. **पूर्ण किये कार्यो का प्रतिशत** – --योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान कुल कार्यो 324586 में से केवल 12342 (3.8%) कार्य पूर्ण किये गये है। जबकि वर्ष 2014–15 के दौरान 36% कार्य पूर्ण किये गये।

कम प्रगति वाले जिले – डूंगरपुर (0%), झालावाड (0%), बांसवाडा (0%), प्रतापगढ (0.1%), एवं टोंक (0.1%)।

अधिक प्रगति वाले जिले – जयपुर (20%), जैसलमेर (17%), पाली (16%), अलवर (14%) एवं अजमेर (8%)

7. **कन्वर्जेन्स**–ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओ का महात्मा गांधी नरेगा के साथ कन्वर्जेन्स पर जोर दिया जावे। इस संबंध में पंचायती समिति स्तर पर संरपचों एवं ग्राम सेवकों के साथ बैठक की जाकर आगामी सप्ताह अंत तक समस्या का समाधान कर लिया जावे।

8. **आईपीपीई–।।**–आईपीपीई ।। अन्तर्गत ब्लॉक रिर्सोस टीम एवं ब्लॉक प्लानिंग टीम संबंधी सूचना एवं प्रशिक्षण संबंधी सूचना महात्मा गांधी नरेगा एमआईएस पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें। बीपीटी द्वारा सर्वे हेतु सर्वे किट एवं एक्शन कलैण्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार पूर्ण प्रचार–प्रसार के साथ दिनांक 02.10.2015 को ग्राम सभा पर आयोजन किया जावे। आईपीपीई–।। अन्तर्गत अपनाई जाने वाली गतिविधियों का चरणबद्व डॉक्यूमेन्टेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा सफलता की कहानियों के माध्यम से आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **सीएफटी**–परियोजना अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यो की लक्ष्यों के विरूद्व प्रगति बहुत कम है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति के जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रगति 30 से 40 प्रतिशत ही है। अकुशल श्रमिकों हेतु जारी मस्टररोलों के विरूद्व वापिस प्राप्त शुन्य उपस्थिति के मस्टररोलों की संख्या काफी अधिक है। अतः योजना कियान्वयन के संबंध में विशेष ध्यान देते हुए प्रगति बढाने के प्रयास किये जावें। सीएफटी–2 परियोजना हेतु सीएसओं के चयन की सूचना अवलिम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

4. सामाजिक अंकेक्षण

1 विशेष अभियान के दौरान पाई गई वसूली के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण माह अप्रैल–मई 2015 में रिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता से चलाया गया। जिसमें राशि रू. 11.58 लाख की वसूली योग्य पाई गई। जिसके विरूद्ध अभी तक राशि रू. 1.45 लाख की वसूली हो पाई है। शेष राशि रू. 10.13 लाख की वसूली होना शेष है जिसकी तत्काल वसूली कर अवगत करावे।

2 पूर्व वर्षो के सामाजिक अंकेक्षण की वसूली भी शीघ्र की जावे। विशेष रुप से भीलवाडा, डूंगरपुर, अजमेर, टोंक एवं राजसमन्द में सर्वाधिक प्रकरण राशि बकाया है जिसे प्राथमिकता देते हुए वसूली/निस्तारण करके रिपोर्ट भेजी जावे।

3 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्ष विभाग, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 52–53 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्रेषित Compliance Audit of Audit of Scheme Rules 2011 पर तथ्यात्मक विवरण प्राप्त हुआ है। जिला अजमेर, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर एवं बाडमेर में महालेखाकार कार्यालय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में कमियां बतायी गयी है। तथ्यात्मक विवरण की प्रति संबंधित जिलों को पत्र कमांक 12303–12 दिनांक 08.09.2015 से भिजवायी जाकर 01 सप्ताह में उत्तर चाहा गया था। तथ्यात्मक विवरण का समय पर जवाब नही भिजवाने की स्थिति में वर्ष 2014–15 के लिये संघ सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ड्राफ्ट पैरा में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना व्यक्त की गई है। अतः जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम संमन्वयक अधिकारी, जिला अजमेर, बाडमेर, बूंदी, डूंगरपुर एवं जयपुर तथ्यात्मक विवरण का जवाब तत्काल भिजवाएं।

4 वर्ष 2015–16 (प्रथम छःमाही) का सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा माह सितम्बर–अक्टूबर, 2015 में आयोजित की जानी है। निम्न सूचना शीघ्र भिजवायें :–

- ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की सूचना जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गई है, शीघ्र भिजवायें।
- वर्ष 2014–15 (द्वितीय छःमाही) सारांश की सूचना जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।

- वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में सामाजिक अंकेक्षण पर व्यय की सूचना जिन जिलों से अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- वर्ष 2014–15 (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड होने की सूचना 2 दिवस में भेजी जावे।
- इन्दिरा आवास योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण प्रथम छःमाही में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ करके निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट भिजवाई जावे।
- आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना रिपोर्ट जिन जिलों ने अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भिजवायें।
- सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा सम्पन्न होने के 2 दिन के अन्दर–अन्दर ग्राम पंचायत के नाम सहित सूचना भेजी जाये।
- समस्त अति0 जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अपने सामाजिक अंकेक्षण नोड्ल अधिकारी एवं जिला संसाधन व्यक्तियों के साथ नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण की मॉनिटरिंग हेतु बैठकें करें एवं समस्त सूचनाओं को समय पर भिजवाया जाना एवं सामाजिक अंकेक्षण राज्य सरकार के निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना करते हुए सम्पन्न हो, यह सुनिश्चित करावें।

5. <u>श्री योजना</u>

1. आगामी 3 माह में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक गांव का श्री योजना के तहत सम्पूर्ण सुनियोजित विकास किया जाना है। गांव का चयन कर दिनांक 26.10.2015 तक भिजवाया जावे।
2. जिला परिषद बांसवाड़ा,बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, करौली, नागौर, प्रतापगढ, सिरोही, उदयपुर, कोटा, राजसमन्द 11 जिलों से 5000 से अधिक आबादी के गांव की कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 26.10.2015 तक आवश्यक रुप से भिजवाई जावे।
3. जिला जयपुर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द से सभी ग्राम पंचायतों की समग्र ग्राम विकास योजना प्राप्त नहीं हुई है। 1 माह की अवधि (29.10.2015) में आवश्यक रुप से भिजवाई जावे।
4. निर्धारित अवधि में कार्य योजनाऐं प्राप्त नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
5. विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध प्रशासनिक मद की राशि का उपयोग कर प्रथम चरण के गांव का सर्वे कर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जावे।
6. ग्राम पंचायत मुख्यालयों के गांव में उपलब्ध एवं आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण 15 नवम्बर 2015 तक आवश्यक रुप से पूर्ण कर लिया जावे।
7. प्रत्येक माह की 09 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट भिजवाई जावे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं के स्वीकृत होने वाले कार्यों में आईडब्ल्यूएमएस से स्वीकृति जारी करते समय श्री योजना गतिविधि को टिक करना सुनिश्चित किया जावे।

5. आवास योजना

1 प्रतापगढ व उदयपुर जिले की समीक्षा के दौरान अन्य योजनाओं के साथ आवास योजनाओं की भी कम प्रगति व प्रगति के कम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जानकारी नहीं होने को प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा काफी खेदजनक मानते हुए विशेष जांच दल राज्य स्तर रो इन जिलों की समीक्षा करने हेतु भेजने के निर्देश दिये गये।

2 वर्ष 2011–12 व 2012 -13 के प्रगतिरत आवासों को अनिवार्य रूप में पूर्ण कराने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं अनिवार्य रूप से लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

3 वर्ष 2015–16 के बकाया पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

- अपील के माध्यम से जुडे नये बीपीएल परिवारों का पात्रता के आधार पर पंजीयन किया जावे।
- पंजीयन से बकाया रहे परिवारों की सूची का आवश्यकतानुसार कम से कम स्थान में स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
- योजना के प्रचार–प्रसार हेतु अपील, होर्डिंग आदि का उपयोग किया जावे। जिन ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा डीएससी एक्टिवेट नहीं करवाये गये हो, आवश्यक रूप में 3 दिवस में एक्टिवेट करावें।
- लाभार्थियों के खाते फ्रीज कर राशि हस्तान्तरित की जावे। जिन जिलों द्वारा एक भी एफटीओ जनरेट इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया है, उन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
- प्रशासनिक मद का योजना के सफल कियान्वयन में उपयोग सुनिश्चित किया जावे, इस बाबत् मोबाईल कनेक्शन जिले पर लेने, आवश्यकतानुसार एमआईएस हेतु हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्रय करने आदि के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- इस मद में कम खर्चे व शून्य व्यय वाले जिलों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश प्रदान किये।

6. डांग, नगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

1. डांग, नगरा, मेवात के सभी जिलों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यो को तुरंत प्रारम्भ कराया जावे।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdmc2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

7.10.15

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

(27)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन–2), पंचायती राज विभाग।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
10. निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
13. संयुक्त निदेशक,(आयोजना) आयोजना विभाग।
14. उप शासन सचिव, कामिक विभाग, सांदेवालय, जयपुर।
15. परि. निदे एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
16. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
17. अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी- सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
18. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/(श्री योजना)।
19. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
20. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग;
21. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रामस्त।
22. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।

7.10.15

परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)